NFSA से वंचित किसानों को मुफ़्त अनाज: महाराष्ट्र का निर्णय

प्रकाशन: 26 नवंबर 2026

समाचार-संदर्भ: 25 नवंबर 2026 (महाराष्ट्र शासन निर्णय)

प्रिलिम्स: शासन निर्णय के प्रमुख तथ्य, NFSA, e-PoS, APL-DBT

मुख्य परीक्षा: सामान्य अध्ययन-II, कल्याणकारी योजनाएँ, खाद्य सुरक्षा; सामान्य अध्ययन-III, महंगाई



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com।

खबरों में क्यों

महाराष्ट्र के खाद्य, नागरी आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने **25 नवंबर 2026** को एक शासन निर्णय (GR) जारी किया। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) का अनाज और एपीएल-डीबीटी योजना का नकद लाभ, दोनों न पाने वाले किसानों को **तीन महीने के लिए मुफ़्त अनाज** दिया जाएगा। यह निर्णय उसी दिन हुई राज्य मंत्रिमंडल बैठक के निर्णय के अनुसरण में हुआ।

शासन निर्णय क्या कहता है

मूल बात समझिए: NFSA के दायरे से बाहर कुछ किसान परिवार ऐसे हैं जिन्हें न तो सस्ती दर पर अनाज मिलता है और न ही एपीएल-डीबीटी योजना का नकद लाभ। एपीएल-डीबीटी राज्य की वह योजना है जिसमें 14 सूखा-प्रवण ज़िलों के एपीएल (केसरी राशनकार्ड) किसानों को अनाज की जगह प्रति व्यक्ति प्रति माह 170 रुपये सीधे बैंक खाते में दिए जाते हैं। महंगाई बढ़ने पर इन्हीं छूटे हुए परिवारों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। इसी अंतर को भरने के लिए राज्य सरकार अपने खर्च पर इन्हें अनाज देगी।

लाभ: पात्र व्यक्ति को प्रतिमाह **5 किलोग्राम अनाज (3 किलोग्राम चावल और 2 किलोग्राम गेहूँ)** मुफ़्त मिलेगा और यह व्यवस्था **तीन महीने** के लिए होगी।

कवरेज: शासन निर्णय के अनुसार यह लाभ **33 ज़िलों के 42,30,783 किसानों (किसान परिवारों के सदस्यों)** को मिलेगा, प्रति व्यक्ति प्रति माह। मुंबई शहर, मुंबई उपनगर और ठाणे, ये तीन शहरी ज़िले इससे बाहर हैं।

आगे का निर्णय: तीन महीने बाद अनाज वितरण जारी रखना है या नहीं, यह निर्णय मुख्यमंत्री की मंज़ूरी से लिया जाएगा।

पात्रता किसकी है

यहाँ ध्यान रखना ज़रूरी है कि शासन निर्णय की पात्रता स्पष्ट है। लाभार्थी वे किसान हैं जिन्हें **NFSA के तहत अनाज भी नहीं मिलता और एपीएल-डीबीटी का नकद लाभ भी नहीं मिलता**। शासन निर्णय में इस निर्णय का आधार महंगाई के आँकड़े बताए गए हैं। शासन निर्णय में सूखे या किसी आय/पात्रता जाँच का उल्लेख नहीं है। इसलिए इसे सामान्य गरीबी रेखा या सूखा राहत योजना समझना गलत होगा।

वितरण कैसे होगा

बायोमेट्रिक पड़ताल: जिन राशनकार्ड धारकों का आधार सीडिंग पूरा हो चुका है, उन्हें **ई-पॉस (e-PoS) मशीन से बायोमेट्रिक सत्यापन** करके अनाज दिया जाएगा।

शेष लाभार्थी: जिनका आधार सीडिंग बाकी है, उन्हें पहले सीडिंग पूरी करनी होगी और उसके बाद ही बायोमेट्रिक पड़ताल से अनाज वितरित होगा।

केंद्र से अनुरोध: इस मुफ़्त वितरण के लिए ज़रूरी अतिरिक्त अनाज का आवंटन राज्य, केंद्र के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से माँगेगा।

वित्तीय व्यवस्था

उपलब्ध निधि: वित्त वर्ष 2026-27 में कुल **2,387.80 करोड़ रुपये** उपलब्ध हैं, जिसमें अनाज खरीद और वितरण के लिए 2,322.14 करोड़ रुपये और आनुषंगिक खर्च के लिए 65.66 करोड़ रुपये शामिल हैं। खरीद प्रक्रिया में होने वाले वास्तविक खर्च और लाभार्थी संख्या में बदलाव से होने वाली संभावित कमी-बढ़ोतरी को भी मान्यता दी गई है। वर्ष 2027-28 का खर्च उस वर्ष के बजट प्रावधान से वहन किया जाएगा।

Source for current Rs170 rate: Maharashtra GR, 30 October 2026

संबंधित अवधारणाएँ

NFSA: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में ग्रामीण जनसंख्या के 75 प्रतिशत और शहरी जनसंख्या के 50 प्रतिशत तक को सब्सिडी वाले अनाज का प्रावधान है (PIB)।

e-PoS: राशन दुकान पर लगा इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यंत्र, जो आधार से जुड़कर बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद अनाज देता है।

एपीएल-डीबीटी: महाराष्ट्र सरकार की योजना, जिसमें अनाज की जगह 150 रुपये प्रति लाभार्थी प्रति माह सीधे बैंक खाते में दिए जाते हैं (2023 की दर; विभाग के अनुसार हर साल संशोधित)। यह एपीएल (केसरी राशनकार्ड) किसानों के लिए है, जो सूखा-प्रवण 14 ज़िलों में आते हैं: औरंगाबाद (छत्रपति संभाजीनगर) और अमरावती संभाग के सभी ज़िले तथा नागपुर संभाग का वर्धा (महाराष्ट्र खाद्य विभाग)।

परीक्षा की दृष्टि से विश्लेषण

महंगाई की पृष्ठभूमि: शासन निर्णय में केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अक्टूबर 2026 के आँकड़े दिए गए हैं। देश में खुदरा महंगाई **6.09 प्रतिशत** और खाद्य महंगाई **8.94 प्रतिशत** थी। महाराष्ट्र में औसत महंगाई 5.85 प्रतिशत थी, और ग्रामीण क्षेत्र की महंगाई (6.86 प्रतिशत) शहरी क्षेत्र (5.20 प्रतिशत) से अधिक थी। यही कारण है कि निर्णय का फोकस ग्रामीण किसान परिवारों पर है।

लक्ष्यीकरण का सबक: यह निर्णय खाद्य सुरक्षा ढाँचे की उस कमी को दिखाता है, जहाँ NFSA और राज्य की नकद योजना के बीच कुछ परिवार छूट जाते हैं।

सीमाएँ: राहत अस्थायी है, केवल तीन महीने की है और पहचान तथा आधार सीडिंग जैसी प्रक्रियागत समस्याएँ लाभार्थियों तक पहुँच को प्रभावित कर सकती हैं।

आगे की राह

इस निर्णय का असली मूल्यांकन इस बात से होगा कि पात्र किसानों की पहचान कितनी सही होती है, आधार सीडिंग में न फँसे लाभार्थियों तक अनाज समय पर पहुँचता है या नहीं, और तीन महीने बाद राज्य इस राहत को आगे बढ़ाता है या NFSA जैसी संरचनागत व्यवस्था में इन परिवारों को जगह दिलाता है।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. महाराष्ट्र के हालिया शासन निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: इसमें पात्र व्यक्ति को प्रतिमाह 5 किलोग्राम अनाज मुफ़्त दिया जाएगा, जिसमें 3 किलोग्राम चावल और 2 किलोग्राम गेहूँ होगा।

कथन 2: यह लाभ मुंबई शहर, मुंबई उपनगर और ठाणे ज़िलों सहित राज्य के सभी ज़िलों में लागू है।

कथन 3: लाभार्थियों को ई-पॉस मशीन से बायोमेट्रिक पड़ताल करके अनाज दिया जाएगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

▼ उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (b)

कथन 1 सही है, प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 5 किलोग्राम (3 किलोग्राम चावल और 2 किलोग्राम गेहूँ) मुफ़्त मिलेगा। कथन 2 गलत है, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर और ठाणे को छोड़कर 33 ज़िले कवर होंगे। कथन 3 सही है, आधार सीडिंग पूर्ण राशनकार्ड धारकों को ई-पॉस मशीन से बायोमेट्रिक पड़ताल के बाद अनाज मिलेगा।

प्रश्न 2. महाराष्ट्र के इस निर्णय के तहत मुफ़्त अनाज किन्हें दिया जाएगा?

(a) राज्य के सभी गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को, चाहे वे NFSA में शामिल हों या नहीं

(b) केवल उन किसानों को, जिनके सूखा-प्रभावित होने की ज़िला स्तर पर पुष्टि हुई है

(c) 33 ज़िलों के सभी राशनकार्ड धारक परिवारों को, उनकी योजना-पात्रता देखे बिना

(d) NFSA का अनाज और एपीएल-डीबीटी का नकद लाभ, दोनों न पाने वाले किसानों को

▼ **उत्तर और व्याख्या**

उत्तर: (d)

शासन निर्णय की पात्रता स्पष्ट है। जिन किसानों को NFSA के तहत अनाज नहीं मिलता और एपीएल-डीबीटी योजना का नकद लाभ भी नहीं मिलता, उन्हीं 33 ज़िलों के 42,30,783 किसानों को यह लाभ मिलेगा। शासन निर्णय में सूखे या किसी आय/पात्रता जाँच का उल्लेख नहीं है, इसलिए इसे सामान्य बीपीएल या सूखा राहत योजना नहीं कहा जा सकता।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. "महाराष्ट्र का मुफ़्त अनाज निर्णय खाद्य सुरक्षा संरचना में रह गए अंतराल को भरने का प्रयास है।" इस कथन की शासन निर्णय की पात्रता, वितरण प्रणाली और वित्तीय व्यवस्था के संदर्भ में समीक्षा कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: शासन निर्णय की तिथि, महंगाई की पृष्ठभूमि और निर्णय का सार संक्षेप में।

मुख्य भाग में: पात्रता की सटीक परिभाषा (NFSA और एपीएल-डीबीटी दोनों से वंचित किसान); 33 ज़िले और 42,30,783 लाभार्थी; 5 किलोग्राम प्रतिमाह का लाभ; ई-पॉस बायोमेट्रिक वितरण; केंद्र से अतिरिक्त आवंटन का अनुरोध; 2,387.80 करोड़ रुपये की वित्तीय व्यवस्था; अस्थायी राहत और क्रियान्वयन की चुनौतियाँ।

निष्कर्ष में: कथन का संतुलित मूल्यांकन: अंतराल भरने की सराहनीय पहल, पर सही पहचान, आधार सीडिंग और दीर्घकालिक संस्थागत समाधान की ज़रूरत।

स्रोत

- [1] https://gr.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/20261125184644870 6.pdf
- [2] https://mahafood.gov.in/en/scheme/apl-farmer
- [3] https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1897933&lang=2&reg=3

शासन निर्णय संकेतांक: अधापु-2026/प्र.क्र.52/ना.पु.22, दिनांक 25 नवंबर 2026।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

▼ महाराष्ट्र के शासन निर्णय का सार क्या है?

NFSA और एपीएल-डीबीटी दोनों से वंचित 33 ज़िलों के 42,30,783 किसानों को तीन महीने तक प्रतिमाह 5 किलोग्राम अनाज (3 किलोग्राम चावल, 2 किलोग्राम गेहूँ) मुफ़्त मिलेगा।

▼ कौन से ज़िले इस निर्णय से बाहर हैं?

मुंबई शहर, मुंबई उपनगर और ठाणे, ये तीन शहरी ज़िले इस व्यवस्था से बाहर हैं।

▼ तीन महीने बाद क्या होगा?

तीन महीने की अवधि के बाद अनाज वितरण जारी रखने या न रखने का निर्णय मुख्यमंत्री की मंज़ूरी से लिया जाएगा।

▼ इस व्यवस्था पर कितना खर्च आएगा?

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कुल 2,387.80 करोड़ रुपये की निधि उपलब्ध है, जिसमें खरीद-वितरण और आनुषंगिक खर्च शामिल हैं।

PCSMANTRA.C